प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
18.04.2026 / प्रादेशिक समाचार / 11:00बजे

विधेयक

लोकसभा में कल संविधान– 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान था। लोकसभा में उपस्थित कुल 5 सौ 28 सदस्यों में 2 सौ 98 सांसदों ने इसके पक्ष में और 2 सौ 30 ने इसके विरोध में मतदान किया, जो दो तिहाई बहुमत से कम था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मतदान का परिणाम घोषित करते हुए कहा कि विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत न मिलने के कारण इसे आगे बढ़ाना संभव नहीं है।

इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक सहित अन्य दो विधेयक संविधान (131वां संशोधन) विधेयक से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें पारित करने के लिए पेश नहीं किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने का अवसर गंवाने का आरोप लगाया।

जो नतीजा आया है वह इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश की महिलाओं को सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसमें विपक्ष ने साथ नहीं है बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आपने गवाया है।

प्रतिक्रिया / मुख्यमंत्री–जयराम

इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक सदन में पारित नहीं होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह संविधान की जीत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हर निर्णय देश की व्यापक सहमति और संतुलन से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हितों की आड़ लेकर संविधान को कमजोर नहीं किया जा सकता है।

वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दशकों के इंतजार के बाद मातृशक्ति को मिलने वाला अधिकार कांग्रेस की महिला विरोधी राजनीति की बलि चढ़ गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नारी शक्ति को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखेगी।

विचित्र पस्थिति है कि कांग्रेस का जो चेहरा बेनकाब उस वक्त हुआ जब इस बिल को समर्थन देने पर उन्होंने विरोध किया। और विरोध के कोई तथ्य नहीं थे तर्क नहीं थे छोटी–छोटी चिजों के माध्यम से इस विधेयक को रोका जाए किसी राजनीतिक दल को इससे फायदा न हो जाए। इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस विधेयक को रोका जाए। मैं नहीं इस बिल को पूरे देश ने देखा की जब कांग्रेस के नेता बोल रहे थे संदन के अंदर तो कोई न तर्क था न तथ्य था कोई सिर्फ और सिर्फ रोका जाए।

धरोहर दिवस

आज विश्व धरोहर दिवस है। हर वर्ष 18 अप्रैल को सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2026 का विषय **संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया** है। इस बीच सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संदेश में कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में विरासत संरक्षण, सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय कला को बढ़ावा देने की दिशा में सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिरों, पहाड़ी स्थापत्य, लोककला और जीवंत परंपराओं के लिए पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखता है। उन्होंनेकहा कि देवभूमि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और सभ्यता व इतिहास की अमूल्य धरोहरों को संजोए हुए है।

विधेयक

ऊना जिले के लोगों में जातीय भेदभाव की रोकथाम और इस भेदभाव के पीड़ितों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत प्रदान करते हेतु प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। जिससे समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा मिल रहा है। देश में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है, जो इन समुदायों के सदस्यों के खिलाफ जाति–आधारित भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया, है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे उना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट..... ..... ''43''

ऊना जिला के जनमानस में जातीय वेदभाव की रोकथाम और इस भेदभाव पीड़ितों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाती अत्याचार निर्वारण अधिनिम के तहत राहत प्रदान प्रभावी प्रयास किए जा रहे है जिससे समाज में समरसता को बढ़ा मिल रहा है अनुसूचति जाती ओर जनजातीयवर्गों के साथ गत माह तक जिला में 73 मामलें दर्ज है। जिनमें से 57 मामलें न्यायालय में विचाराधीन हैं। अधिनियम के प्रावधान के तहत पीड़ितों को एक लाख रुपये से लेकर 8 लाख 25 हजार रुपये की राहत राशि मिलने का प्रावधान है। पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और समाज जाती संबंधी भावनाओं से दृष्ति न हो इसके लिए समाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और जिला पुलिए सतत्ता से मामलों की पहरवी और सुनवाई कर रही है आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।

मांग

लाहौल–स्पीति के रंगरिक गांव में कूहल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस स्रोत से पानी लिया जा रहा है, वही गांव के पेयजल का मुख्य स्रोत है, जिससे पीने के पानी की कमी और सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना है। ग्रामीणों ने कल काजा में जल शक्ति विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया और कार्य को तुरंत रोकने की मांग की।